न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 163 / 2024

प्रार्थीगण

1. हेमराज पुत्र गिरधारीराम
2. ताजाराम पुत्र गिरधारीराम
3. पीराराम पुत्र गिरधारीराम
4. रामचन्द्र पुत्र गिरधारीराम
5. शेराराम पुत्र गिरधारीराम
6. कलाराम पुत्र नीम्बाराम
7. ठाकराराम पुत्र नीम्बाराम
8. मोटाराम पुत्र शेराराम
9. हीराराम पुत्र शेराराम
10. चन्दु पत्नी शेराराम
11. चूनाराम पुत्र हड़ूमानराम
12. जीयाराम पुत्र हड़ूमानराम
13. ठाकराराम पुत्र हड़ूमानराम
14. चेनी पत्नी हड़ूमानराम
15. जोगाराम पुत्र गेनाराम
16. मिसराराम पुत्र गेनाराम
17. लहरो पत्नी गेनाराम
18. मानाराम पुत्र गिरधारीराम
19. धनाराम पुत्र हेमराज
20. हड़ूमानराम पुत्र हेराजराम, उम्र–व्यसक, जातियान–जाट, निवासी होड़ू, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतराविप्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. थानाराम पुत्र शंकराराम
2. भूराराम पुत्र शंकराराम
3. दुर्गाराम पुत्र मानाराम
4. उर्जाराम पुत्र मानाराम
5. चेनाराम पुत्र मानाराम
6. नेनाराम पुत्र भेराराम
7. पदमाराम पुत्र भेराराम
8. मूलाराम पुत्र भेराराम
9. सरुपाराम पुत्र भैराराम
10. कुम्भाराम पुत्र भेराराम
11. नानगाराम पुत्र केहनाराम
12. पनाराम पुत्र तुलसाराम
13. फताराम पुत्र तुलसाराम
14. प्रेमप्रकाश पुत्र सताराम
15. हरिश पुत्र सताराम
16. कंवराराम पुत्र सताराम
17. चुन्नीलाल पुत्र सताराम
18. भीखाराम पुत्र भंवराराम
19. रामाराम पुत्र तगाराम
20. खेताराम पुत्र अचलाराम
21. मूलाराम पुत्र मेहराराम
22. मोहनराम पुत्र भंवरराम, जातियान–सुथार
23. भैराराम पुत्र भीयाराम
24. मगाराम पुत्र भीयाराम
25. ईशराराम पुत्र दूदाराम
26. हरजीराम पुत्र दूदाराम
27. [illegible] पुत्र दूदाराम
28. [illegible]राम पुत्र दूदाराम
29. [illegible]तीराम पुत्र [illegible]माराम
30. [illegible] पुत्र देराजराम
31. [illegible]तराराम पुत्र देराजराम
32. भलाराम पुत्र देराजराम
33. गोधुराम पुत्र राजूराम
34. घमडाराम पुत्र राजूराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

35. जुगताराम पुत्र राजूराम
36. गूलाराम पुत्र राजूराम
37. गेनाराम पुत्र गूलाराम
38. चेतनराम पुत्र गूलाराम, जातियान–जाट
39. श्रवणकुमार पुत्र भीयाराम
40. सत्यनारायण पुत्र भीयाराम, जातियान–ब्राह्मण, निवासी केरलीवास, तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया , अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 10.03.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा केरलीवास, पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 163 रकबा 8.0253 हैक्टेयर का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों [illegible] है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा [illegible] को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत [illegible] केरलीवास, पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 163 रकबा 8.0253 हैक्टेयर भूमि की [illegible] नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:49 IST
Reason: SelfAttested

2. प्राथीगर्ण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा केरलीवास, पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 163 रकबा 8.0253 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा केरलीवास, पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 163 रकबा 8.0253 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा केरलीवास, पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 163 रकबा 8.0253 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा केरलीवास, पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 163 रकबा 8.0253 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:15:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी